भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1058

(3 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'मनरेगा' के अंतर्गत विकास और स्वच्छता संबंधी निर्माण कार्य

1058. डा0 प्रभा ठाकुर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार हर गांव के विकास एवं स्वच्छता के हित में गांवों में शुद्ध पेयजल हेतु जलाशयों, स्वच्छता के लिए पक्की नालियों, शौचालयों और स्कूलों और डिस्पेंसरी के कमरों के निर्माण तथा जलाशयों के शुद्धिकरण आदि कार्यों को मनरेगा से जोड़ने को आवश्यक मानती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं तथा इस योजना के तहत राज्य-वार ग्रामीण विकास संबंधी क्या-क्या कार्य किए जा रहें हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) से (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के प्रावधान इस अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं के जरिए लागू किए जाते हैं। राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं में इस अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम विशेषताओं का प्रावधान किया जाना होता है, जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। समय-समय पर यथासंशोधित एमजीएनआरईजीए की अनुसूची-I में उन कार्यों की श्रेणी का उल्लेख होता है

जिन पर एमजीएनआरईजीए अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के तहत ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इस अधिनियम में सुझाए गए कार्यों से सूखा, वनों की कटाई, मिट्टी के कटाव और जल की कम उपलब्धता जैसे गरीबी के पुराने कारण दूर होते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई आधार पर रोजगार सृजन होता रहे और टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण हो सके । टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण और ग्रामीण गरीबों के आजीविका स्रोतों को बढ़ाना भी इस अधिनियम के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं । राज्य सरकारों सहित विभिन्न स्टेक होल्डरों से प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों के आधार पर अनुसूची और दिशानिर्देशों में समय-समय पर परिवर्तन और आशोधन किए जाते हैं और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है । जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण, तालाबों से गाद निकालने सहित परंपरागत जल निकायों के नवीकरण, बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, गांवों में पुलियाओं और सड़कों सहित ग्रामीण सड़क संपर्क, वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, स्कूलों में शौचालय, आंगनवाड़ियों में शौचालय जैसे ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित कार्यों को शामिल करने के लिए दिनांक 4.5.2012 की अधिसूचना द्वारा अनुसूची I में व्यापक विस्तार किया गया है । इस अधिनियम की अनुसूची-I में इस समय शामिल क्रियाकलापों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

राज्य सभा में दिनांक 3.12.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1058 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची- I (पैरा 1 बी) में शामिल कार्यकलापों की सूची

(i) कंटूर ट्रेंच, कंटूर बांध, बोल्डर चेक, गेबियन स्ट्रक्चर, भूमिगत डाइक, मिट्टी के बांध, रोक बांध और स्प्रिंगशेड निर्माण सहित जल संरक्षण और जल संचयन;

(ii) सूखा-रोधन (वनरोपण एवं वृक्षारोपण सहित);

(iii) सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें;

(iv) सिंचाई सुविधा, खेतों में खोदे गए तालाब, बागवानी, पौधरोपण, मेड़बंधी तथा भूमि विकास का प्रावधान;

(v) तालाबों से गाद निकालने सहित परम्परागत जल निकायों का नवीकरण;

(vi) भूमि विकास;

(vii) बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण कार्य, जिनके अंतर्गत फ्लड चैनलों को गहरा करने और उनकी मरम्मत करने, चौर का नवीकरण, तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण सहित जल जमाव वाले क्षेत्रों में जल निकासी का कार्य भी शामिल है;

(viii) जरूरत के हिसाब से गांव में पुलिया और सड़कों सहित बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्कता;

(ix) ब्लॉक स्तर पर सूचना संसाधन केंद्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण;

(x) कृषि संबंधी कार्य, जैसे कि एनएडीईपी कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, तरल जैव खाद;

(xi) पशुधन संबंधी कार्य अर्थात् पोल्ट्री शेल्टर, गोट शेल्टर, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और मवेशियों के लिए फॉडर ट्रफ और पशु भोजन सप्लीमेंट के रूप में अजोला;

(xii) मत्स्यपालन संबंधी कार्य अर्थात् सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्यपालन;

(xiii) तटीय क्षेत्रों में कार्य अर्थात् फिश ड्राईंग यार्ड, बेल्ट वेजीटेशन;

(xiv) ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य अर्थात् सोख्ता गड्ढे, रिचार्ज पिट;

(xv) ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य अर्थात् वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, विद्यालय शौचालय इकाई, आंगनवाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन;

(xvi) राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया कोई अन्य कार्य ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों या भूमि सुधार के लाभार्थियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों या कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 में परिभाषित छोटे या सीमांत किसानों या अनुसूचित जाति या अन्य परंपरागत वनवासियों (वन्य अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की भूमि या वास भूमि पर मद सं. (iv), (x), (xi) और (xiii) से (xv) में उल्लिखित सभी क्रियाकलाप किए जाने की अनुमति दी गई है ।

*****